

न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनू

पीठासीन अधिकारी :-उमर दीन खान,
आई.ए.एस.

गुण्डा एक्ट प्रकरण संख्या :-00029/2020

राजस्थान सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।

-बनाम-

लतीफ पुत्र रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 21, चूरू बाई बास, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली
झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 खण्ड (ख)(5) राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

उपस्थिति :-

- सरकार की ओर से :-श्री सहायक लोक अभियोजक (प्रथम)
- गैर सायल की ओर से :- स्वयं मय वकील श्री अब्बास भाटी के उपस्थित

-निर्णय-

दिनांक 08.09.2021

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू ने दिनांक 18.12.2020 को गैरसायल लतीफ पुत्र रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 21, चूरू बाई बास, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू के खिलाफ इस्तगासा पेश किया कि लतीफ पुत्र रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 21, चूरू बाई बास, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू का रहने वाला है जो एक आपराधिक मनोवृत्ति का बदमाश व्यक्ति है। यह कस्बा झुंझुनू में बदमास व्यक्तियों का गुट बनाकर गैमलिंग करता है। गैरसायल कस्बा झुंझुनू में युवा लडकों को गैमलिंग हेतु प्रेरित करता है जिससे समाज के युवा वर्ग में विपरीत असर हो रहा है। युवा वर्ग लडकों को आपराधिक प्रवृत्ति की ओर अग्रसर कर रहा है तथा अनावश्यक ही आपराधिक गतिविधियों से झुंझुनू शहर में आम नागरिकों को भयभीत व आंतकित करके रखता है। लेकिन इसके डर से कोई भी व्यक्ति इसके खिलाफ पुलिस थाने पर रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाता है तथा ना ही कोई सूचना देता है एवं ना ही इसके खिलाफ कोई व्यक्ति गवाही देने को तैयार है। इसके खिलाफ अब तक 3 अभियोग दर्ज कये गये है। इसके जिले की सीमाओं में रहने से आपराधिक व गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा तथा अपने कृत्यों कारे लगातार अन्जाम देगा। ऐसी स्थिति में गैरसायल लतीफ की आपराधिक गतिविधियों को लगाम रखने के लिए जिला निष्कासन किया जाना आवश्यक है। उक्त शख्स द्वारा किये गये अपराधों का विवरण निम्न प्रकार है:-

- अभियोग संख्या 199/2019 दिनांक 18.05.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 121 दिनांक 31.05.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- अभियोग संख्या 342/2019 दिनांक 30.07.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 201 दिनांक 09.08.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.08.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 500 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
- अभियोग संख्या 386/2019 दिनांक 23.08.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनू में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 224 दिनांक 29.08.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 500 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार उक्त लतीफ पुत्र रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 21, चूरू बाई बास, झुंझुनू, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू का यह कृत्य राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

की धारा 3/2 के खण्ड (ख) उपखण्ड (5) की परिभाषा में पूर्ण रूप से आता है, जिसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जावे।

इस्तगासा पेश होने पर गैर सायल को उसके खिलाफ लगाये आरोपों की सूचना को नोटिस देकर तलब किया गया तथा दिनांक 08.09.2021 को गैरसायल ने न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर उक्त कृत्यों को स्वीकार किया।

बहस सुनी गई। दौराने बहस विद्वान एपीपी-1 ने बताया कि गैर सायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं में निम्न अभियोग दर्ज होकर न्यायालय में चालान पेश किये गये हैं—

1. अभियोग संख्या 199/2019 दिनांक 18.05.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 121 दिनांक 31.05.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 26.06.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 200 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
2. अभियोग संख्या 342/2019 दिनांक 30.07.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 201 दिनांक 09.08.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 20.08.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 500 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।
3. अभियोग संख्या 386/2019 दिनांक 23.08.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में पंजीबद्ध होकर चार्ज सीट नम्बर 224 दिनांक 29.08.2019 को न्यायालय में पेश किया गया जिसमें बाद अन्वीक्षा माननीय न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 05.09.2019 में अभियुक्त को दोषसिद्ध मानते हुए 500 रुपये के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया।

इस प्रकार गैर सायल राजस्थान गुण्डा नियंत्रण अधि0 1975 की धारा 2 खण्ड (ख) के उपखण्ड (5) में अंकित धारा के अधीन 2 बार दोषसिद्ध होने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। अतः इसे झुंझुनूं जिले से निष्कासित किया जावे।

मैने पत्रावली का अवलोकन किया। बहस विद्वान एपीपी-1 पर ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात/साक्ष्य के मुताबिक गैरसायल के खिलाफ पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं जिला झुंझुनूं में अभियोग संख्या 199/2019 दिनांक 18.05.2019 धारा 13 आरपीजीओ, अभियोग संख्या 342/2019 दिनांक 30.07.2019 धारा 13 आरपीजीओ एवं अभियोग संख्या 386/2019 दिनांक 23.08.2019 धारा 13 आरपीजीओ थाना कोतवाली झुंझुनूं में दर्ज हुई थी, जिसकी प्रमाणित प्रति प्रस्तुत हुई है। इसकी चार्जशीट न्यायालय में पेश हुई थी। जिनमें माननीय न्यायालय द्वारा गैरसायल लतीफ को दोषी मानकर परिवीक्षा अधिनियम की धारा 3 के तहत कमशः 200 रुपये, 500 रुपये एवं 500 रुपये अर्थदण्ड की सजा से दंडित किया गया है। गैर सायल लतीफ राजस्थान गुण्डा अधिनियम 1975 के अन्तर्गत 3 बार अपराध करने के कारण गुण्डा की परिभाषा में आता है। गैरसायल ने उपस्थित होकर अपना जुर्म लिखित में स्वीकार किया। पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य/सबूत को दृष्टिगत रखते हुए मुझे यह पूर्ण विश्वास है कि गैरसायल यदि इस जिले में बना रहता है तो वह ऐसे अपराधों की पुनरावृत्ति में पुनः लगकर युवा पीढी को ऐसी सामाजिक बुराई के अपराध में संलिप्त कर उन्हें दिशा भ्रमित कर सामाजिक व्यवस्था को भंग कर सकता है तथा आम जन की जान माल को नुकसान हो सकता है। ऐसी स्थिति में गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम की धारा 3 (ख) (ii) में अंकित विश्वास के कारणों के कारण गैरसायल को इस जिले से निष्कासित करना न्यायोचित व आवश्यक समझता हूं।

अतः लतीफ पुत्र रज्जाक, जाति मुसलमान, निवासी वार्ड नं0 21, चूरू बाई बास, झुंझुनूं, पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं, जिला झुंझुनूं को राज0 गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3(ख) (ii) के तहत 15 दिन की अवधि के लिए झुंझुनूं जिले की सम्पूर्ण सीमा से निष्कासित किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। उक्त 15 दिन की अवधि में गैर सायल कोतवाली सीकर क्षेत्र में रहेगा तथा वह प्रतिदिन कोतवाली में उपस्थिति दर्ज करवायेगा तथा थाना कोतवाली सीकर इसकी लगातार सूचना पुलिस थाना कोतवाली झुंझुनूं,

51

जिला झुंझुनू को देंगे तथा थानाधिकारी थाना कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू गैर सायल की गतिविधियों बाबत पाक्षिक सूचना इस न्यायालय को प्रेषित करेंगे। इस दौरान गैर सायल ऐसे अपराध एवं अन्य असमाजिक गतिविधियों में शामिल नहीं रहेगा। यह निर्णय दिनांक 08.09.2021 के पश्चात 07 दिवस के बाद से प्रभावी होगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधीक्षक झुंझुनू को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.09.2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उमर दीन खान)
जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनू

08/09/21

क्रमांक: प्र. 00029/2021 उमर दीन खान
कार्य: जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू बनाम लताफ पुत्र
सुल्तान, निवासी बाई नं० 21, चूरु बाई बास,
झुंझुनू, जिला कोतवाली झुंझुनू, जिला झुंझुनू।

पश्चात दिवस में प्रार्थना से इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिये जाने पर
निर्णय दिनांक 08.09.2021 को लागू एवं अंतिम सलमन कर
अंतिम हो।

आज्ञा से
जिला मजिस्ट्रेट
जिला कोतवाली, झुंझुनू